



बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग)

निबंधित कार्यालय:-विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

Contact No:7763817975, 7763818077, email-hr.admin@bsptcl.bihar.gov.in, website-www.bsptcl.in

CIN-U74110 BR 2012 SGC 018889

कार्यालय आदेश सं० :- ५०१ / पटना,

दिनांक :- ०९/१०/२०२५ /

T-V/Alleg-1616/2024

श्री राजा [E02960], तकनीकी कोटि-I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया के विरुद्ध बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश सं०-514 दिनांक-30.09.2024 द्वारा उक्त आदेश के साथ संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट कर्तव्यहीनता, लापरवाही एवं उक्त के फलस्वरूप कंपनी को हुई बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री कृष्णा नन्द झा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, (Project-1) शहरी NBPDCCL, को जाँच पदाधिकारी एवं श्री आशीष कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-I को उपस्थापन पदाधिकारी मनोनित किया गया।

जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त पत्रांक-35 दिनांक-18.02.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन अन्य सुसंगत अभिलेखों के साथ समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गए आरोप सं०-01 को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं०-02 को अप्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों यथा- आरोप पत्र, आरोपित कर्मचारी के लिखित बयान, साक्ष्य अभिलेख/दस्तावेज के गहन समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के निष्कर्ष से निम्न बिन्दुओं के आधार पर असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री राजा से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया।

“संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष इस कारण मान्य प्रतीत नहीं होता है कि ग्रिड उपकेन्द्र में 24X7 कार्य निष्पादित होता रहता है, ऐसी स्थिति में इतनी अधिक मात्रा में हुई चोरी के तरफ तकनीकी कर्मियों का ध्यान नहीं जाना असंभव है। कम्पनी को लगभग रुपये 30,00,000/- (तीस लाख) की आर्थिक क्षति हुई है। इसके लिए केवल चौकीदार का जवाबदेह ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जब तक सभी कर्मियों की मिलीभगत न हो ग्रिड उपकेन्द्र के अन्दर से लगभग रुपये 30,00,000/- (तीस लाख) की सामग्री की चोरी असंभव है।”

श्री राजा द्वारा इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या-132 दिनांक-24.03.2025 द्वारा की गयी द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक-07.04.2025 को समर्पित किया गया। श्री राजा के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज/अभिलेख के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि चोरी की घटना की सूचना दिनांक-05.12.2022 को प्राप्त हुई, परन्तु इतने बड़े पैमाने पर पावर ट्रांसफार्मर की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाना एक दिन अथवा एक व्यक्ति द्वारा कदाचित संभव नहीं है। तकनीकी कर्मी पाली कार्य हेतु ग्रिड परिसर स्थित कंट्रोल रूम में मौजूद रहते हैं तथा हर घंटे चालू पावर ट्रांसफार्मर से Temperature की Reading लिया जाता है। संदर्भित ट्रांसफार्मर जिससे पूर्ण की चोरी हुई वह चालू ट्रांसफार्मर से अधिक दूरी पर नहीं था। ऐसी किसी असामान्य क्रिया-कलाप पर पाली कार्य में कार्यरत कर्मियों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था। परन्तु आरोपी द्वारा चोरी की घटना से अनभिज्ञता जताया गया है, जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। स्पष्टतः चोरी की घटना में आरोपी की घोर लापरवाही परिलक्षित होती है।

क०पृ०उ०

साथ ही, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया में 10MVA ट्रांसफॉर्मर से हुई चोरी के संबंध में The New India Assurance Company Limited के द्वारा Claim Amount Rs. 30,00,000/- में से मात्र Rs. 23,40,384/- (तैईस लाख चालीस हजार तीन सौ चौरासी) का भुगतान किया गया है। इस प्रकार Insurance कम्पनी द्वारा भुगतान किये जाने के बावजूद कम्पनी को कुल राशि रु० 6,59,636/- (छः लाख उनसठ हजार छः सौ छत्तीस रुपये) मात्र का नुकसान हुआ है। उक्त आर्थिक क्षति आरोपी द्वारा पाली कार्य में बरती गयी लापरवाही का परिणाम है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपी के विरुद्ध लगाये गये दोनों आरोपों की प्रमाणिकता असंदिग्ध है।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री राजा [E02960], तकनीकी कोटि-I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 (CCA Rule 2005) (यथासंशोधित, 2007) के नियम 14 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न शास्ति अधिरोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. अगले 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं
2. कंपनी को हुई आर्थिक नुकसान कुल- 6,59,636/- (छह लाख उनसठ हजार छह सौ छत्तीस) का 15% अर्थात् 98,945/- (अठ्ठानबे हजार नौ सौ पैतालीस) की वसूली कुल 10 (दस) किस्तों में।

तदनुसार, श्री राजा [E02960], तकनीकी कोटि-I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को उक्त प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक नियमावली, 2005 (CCA Rule 2005) (यथासंशोधित, 2007) के नियम 14 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्न शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

1. अगले 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि को संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं
2. कंपनी को हुई आर्थिक नुकसान कुल- 6,59,636/- (छह लाख उनसठ हजार छह सौ छत्तीस) का 15% अर्थात् 98,945/- (अठ्ठानबे हजार नौ सौ पैतालीस) की वसूली कुल 10 (दस) किस्तों में।

आदेश:- आदेश दिया जाता है, कि इस आदेश की एक प्रति श्री राजा [E02960], तकनीकी कोटि-I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को अग्रसारित किया जाय।

आदेशानुसार,

ह०/-

(विजय कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- _____/पटना,

दिनांक :- _____/

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेश के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

ह०/-

(विजय कुमार)

अवर सचिव

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :- _____/पटना, दिनांक :- _____/

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०),
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), नॉर्थ बिहार पावर
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड,
पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(विजय कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2502 /पटना, दिनांक :- 09/10/2025 /

प्रतिलिपि:-निदेशक (परियोजना)/निदेशक (परिचालन)/सभी मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (वित्त एवं
लेखा)/उपमहाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/सभी
महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल/उप सचिव/सभी
अवर सचिव/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/डी०बी०ए०/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण
प्रमंडल/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल/सभी लेखा पदाधिकारी, संचरण अंचल/लेखा
पदाधिकारी (स्थापना)/प्रशासी पदाधिकारी (ERP), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/श्री
राजा [E02960], तकनीकी कोटि-I, 132/33 के० वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बलिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के वेबसाईट पर अपलोड कराने की
कृपा की जाय।


(विजय कुमार)
अवर सचिव

2
09-10-25